हिन्दुस्तान
तरक्की को चाहिए नया नजरिया
शनिवार, 17 जून 2017, बरेली, पांच प्रदेश, 20 संस्करण
www.livehindustan.com

PAGE NO. 11 : LEFT MIDDLE

बीटेक कोर्स में मिलेगा 45 फीसदी पर दाखिला

बाध्यता खत्म

लखनऊ/मेरठ | वरिष्ठ संवाददाता

प्रदेशभर के तकनीकी-प्रबंधन कॉलेजों को प्रदेश सरकार ने बड़ी राहत देते हुए यूजी कोर्स में रिक्त सीटों पर न्यूनतम 60 फीसदी अंकों पर ही प्रवेश की बाध्यता खत्म कर दी है।

शासन ने पांच वर्षों से जारी 50 फीसदी अंकों की अनिवार्यता में भी छूट देते हुए ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (एआईसीटीई) की न्यूनतम अर्हता को हरी झंडी दे दी है। ऐसे में इन कॉलेजों में यूजी कोर्स में अब 45 फीसदी अंक पाने वाले छात्रों के प्रवेश का रास्ता साफ हो गया है। इससे कॉलेजों में रिक्त सीटों पर ज्यादा छात्र मिल सकेंगे।

प्रदेश सरकार ने हाल में प्रदेशभर के तकनीकी एवं प्रबंधन कॉलेजों में रिक्त सीटों पर सीधे प्रवेश के लिए न्यूनतम अर्हता में बढ़ोतरी करते हुए सामान्य वर्ग के लिए 50 फीसदी के बजाय 60 फीसदी जबकि पीजी कोर्स में 55 फीसदी अंक अनिवार्य कर दिए थे। न्यूनतम अर्हता में 10 फीसदी की बढ़ोतरी का उत्तर प्रदेश टेक्निकल इंस्टीट्यूशन फेडरेशन (यूपीटिफ) ने विरोध करते हुए शासन से इसे बीते वर्षों की तरह 50 फीसदी करने की मांग की थी। यूपीटिफ ने प्रत्यावेदन में एआईसीटीई के नियमों का भी उल्लेख किया था। इसी क्रम में शुक्रवार को विशेष सचिव अबरार अहमद ने संशोधित आदेश देते हुए कॉलेजों को बड़ी राहत दे दी। शासन ने पीसीएम या पीसीबी में 60 फीसदी की बाध्यता खत्म करते हुए रिक्त सीटों पर एआईसीटीई के नियमों के अनुसार प्रवेश को हरी झंडी दे दी। ऐसे में बीटेक में अब सामान्य वर्ग के छात्र 45 फीसदी जबकि आरक्षित वर्ग के छात्र 40 फीसदी पर बीटेक में प्रवेश लेने के योग्य हो गए हैं। इससे तकनीकी-प्रबंधन कॉलेजों को 45 फीसदी वाले हजारों छात्र प्रवेश के लिए मिल सकेंगे।

साथ ही जो छात्र इस अर्हता पर ट्रेडिशनल कोर्स में प्रवेश नहीं ले सकेंगे उनके लिए बीटेक में प्रवेश की गारंटी होगी। हालांकि रिक्त सीटों के लिए एकेटीयू ऑनलाइन पोर्टल शुरू करेगी। इसी पर छात्रों का पंजीकरण कराना होगा।